

## **Topic 1 :- महिला का शिशु देखभाल अवकाश और मौलिक अधिकार**

**वर्षा में वर्षों :-** हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ में एक सहायक प्रोफेसर महिला ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए राज्य सरकार से छुट्टी की मांग की। किंतु राज्य सरकार द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था।

**अवकाश लेने का कारण :-** महिला का बेटा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा (भंगुर हड्डी रोग) से पीड़ित है यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है और इस बीमारी के चलते कई सर्जरी हो चुकी है।

बच्चों के इलाज के कारण महिला की स्वीकृत छुट्टियां समाप्त हो गई हैं।

महिला ने शिशु देखभाल अवकाश के लिए राज्य सरकार से आवेदन किया था।

किंतु राज्य सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) रूल, 1972 के नियम 43-सी के तहत प्रदान किए गए बाल देखभाल अवकाश के प्रावधान को न अपनाने के कारण महिला के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।

इस संदर्भ में महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा माताओं को शिशु देखभाल अवकाश से वंचित करना कार्यबल में सहभागिता के प्रति उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि महिलाओं की कार्यबल भागीदारी संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार है तथा राज्य को उनके द्वारा उठाई गई विशेष चिंताओं का समाधान करना चाहिए। राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

### **महिलाओं के अवकाश से संबंधित प्रावधान:-**

प्रसवोत्तर अवधि के दौरान मां को अपनी और अपने बच्चे की देखभाल हेतु अनिवार्य 180 दिन का मातृत्व अवकाश आवश्यक है।

इसके अलावा सरकार के द्वारा बाल देखभाल अवकाश भी दिया जाता है।

बाल देखभाल अवकाश: बाल देखभाल अवकाश के लिए एक संवैधानिक आदेश के आवश्यक होती है क्योंकि अपर्याप्त प्रावधान माताओं को पालन-पोषण समयावधि में अपने रोजगार से इस्तीफा देने हेतु मजबूर कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अधिनियम के नियम में केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) अधिनियम की धारा 43-सी जैसा कोई प्रावधान नहीं है।

इस प्रावधान के तहत महिला कर्मचारियों को उनके विकलांग बच्चों के 22 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक 730 दिनों का चाइल्डकेयर अवकाश लेने की अनुमति देता है।

सामान्य बच्चों वाली महिलाएं बच्चों के 18 वर्ष की आयु होने तक इस अवकाश का लाभ उठा सकती हैं।

संबंधित केस में न्यायालय के निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को नीतिगत सिफारिशें सुझाने तथा महिला कर्मचारियों हेतु चाइल्डकेयर अवकाश का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपने बेटे की देखभाल हेतु असाधारण अवकाश देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।

## Topic 2 :- पद्म पुरस्कार (Padma Awards)



**चर्चा में क्यों:-** हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा भारत के कुछ गणमान्य लोगों को जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए हैं।

**पद्म पुरस्कार सम्मानित गणमान्य :-** पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वैकैया नायडू, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उथुप तथा टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना।

### **पद्म पुरस्कार और इनका इतिहास**

- इन्हें भारत के नागरिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है।
- भारत में सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है।
- केंद्र सरकार के द्वारा 1954 में नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न एवं तीन वर्गों, -प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग तथा तृतीय वर्ग के साथ पद्म विभूषण प्रारम्भ किए गए।
- आगे जा कर तीन श्रेणियां में दिए जाने वाले पद्म विभूषण पुरस्कारों के नाम में बदलाव किया गया और नए नाम इस प्रकार रखे गए पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री।
- इन पुरस्कारों को प्रदान किए जाने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।

- इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है
- अभी तक केवल दो समयावधि में इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है 1978 से 1979 तथा 1993 से 1997।

### तीनों पुरस्कार से संबंधित तथ्य :-

पद्म विभूषण: यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है

जिसके तहत ज्यामितीय प्रतिरूप तथा कमल के फूल वाले गोलाकार डिजाइन का मेडल।

पद्म भूषण: यह तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है

इस पुरस्कार के अंतर्गत पद्म विभूषण के समान सोने की उभरी हुई डिजाइन वाला मेडल प्रदान किया जाता है।

- पद्म श्री: नागरिक क्षेत्र में दिया जाने वाला चतुर्थ पुरस्कार

एक वृत्त पर ज्यामितीय प्रतिरूप का उपयोग करके डिजाइन किया गया मेडल।

**इन पुरस्कारों के लिए पात्रता:** – बिना किसी भेदभाव कैसे की जाति, पेशे, पद या लिंग के सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक क्षेत्र और जन कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं वे पद्म पुरस्कार के लिए पात्र हैं।

परंतु एक अपवाद है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में काम करने वाले, सिविल सेवक तथा डॉक्टर एवं वैज्ञानिक इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

### किन कक्षेत्रों में दिए जाते हैं:-

**सामाजिक कार्य:** इसमें सामाजिक सेवा, धर्मार्थ कार्य तथा सामुदायिक परियोजनाओं में योगदान शामिल है।

**कला:** इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, फोटोग्राफी, फिल्म एवं थिएटर शामिल हैं।

**सार्वजनिक मामले:** इसमें कानून, सार्वजनिक जीवन तथा राजनीति शामिल है।

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** इसमें अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, परमाणु विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान शामिल है।

**व्यवसाय तथा सेवाएँ:** इसमें बैंकिंग, आर्थिक गतिविधियाँ, प्रबंधन, पर्यटन तथा व्यवसाय को बढ़ावा देना शामिल है।

**दवा:** इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, एलोपैथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा अनुसंधान तथा विशेषज्ञता शामिल है।

### **Topic 3 :- बाघ संरक्षण सम्मेलन 2024**

**वर्ष में क्यों :-** एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता



भूटान सरकार के द्वारा एशिया में बाघों और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए फंडिंग जुटाने के इरादे से पृथ्वी दिवस 2024 के अवसर पर टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के तहत सतत विकास की मेजबानी की जा रही है

एशिया में बाघों तथा उनसे संबंधित उनके आवासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अगले दशक तक \$1 बिलियन की जरूरत पड़ेगी।

#### **बाघ संरक्षण सम्मेलन 2024**

- इस सम्मेलन का आयोजन भूटान में किया जा रहा है
- दो दिवसीय सम्मेलन है
- इस सम्मेलन की मेजबानी देश की रानी जेत्सुन पेमा वांगचुक की देख रेख में भूटान द्वारा की जा रही है।
- सम्मेलन के सह-आयोजन भूटान की शाही सरकार और बाघ संरक्षण गठबंधन द्वारा।

#### **भारत ने बाघ संरक्षण एवम उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े:-**

- विगत वर्षों के आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि भारत में बाघ संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- भारत में जंगली बाघों की संख्या वर्ष 2006 में मात्र 1,400 थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 3,167 हो गई है,
- भारत के पास वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% है

- राज्यों के मामले में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है.
- बाघों की संख्या में वृद्धि करने में 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

बाघों की प्राप्ति प्राकृतिक रूप से इन निम्नलिखित 13 देश से होती है

- भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, रूस, चीन, ताओस और वियतनाम शामिल हैं।

• IUCN के द्वारा एक नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार, ताओस, कंबोडिया और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं।

संरक्षण की स्थिति

• IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय

■ CITES: परिशिष्ट-1

• WPA 1972 : अनुसूची-1

**प्रश्न.** निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में "क्रांतिक बाघ आवास (Critical Tiger Habitat)" के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? (2020)

- कॉर्बेट
- रणथंभौर
- नागार्जुनसागर-श्रीशैलम
- सुंदरबन

**उत्तर:** ©

#### **Topic 4 :- प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन**

**वर्ष में वर्षों :-** हाल ही में एलजीबीटी पर्यटकों के लिए नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया



आयोजन का उद्देश्य :- नेपाल की सरकार ने अपने देश को एलजीबीटी पर्यटकों के लिए सुरक्षित और समावे से गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और देश में एलजीबीटी पर्यटकों की वृद्धि करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया।

इस सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया

इस सम्मेलन का आयोजन नेपाल पर्यटन बोर्ड और मयाको पहिवान नेपाल नामक एनजीओ द्वारा आयोजित किया गया ।

**सम्मेलन में शामिल देश :-** भारत, स्पेन, श्रीलंका, जर्मनी और अमेरिका देशों के साथ ही विभिन्न देशों के यौन अल्पसंख्यकों, गैर सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं, लेखकों , मीडिया कर्मियों तथा एलजीबीटी से संबंधित उन समूहों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 120 व्यक्तियों ने भाग लिया।

### इंद्रधनुष पर्यटन के विषय में

अन्य नाम :- रेनबो पर्यटन, एलजीबीटी पर्यटन या समलैंगिक पर्यटन ।

एलजीबीटी पर्यटन वैश्विक पर्यटन उद्योग में सालाना 200 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का योगदान देता है ।

**इस पर्यटन के प्रमुख स्थल हैं :-** न्यूयॉर्क, एमस्टर्डम, मैड्रिड, सैन फ्रांसिस्को और तेल अवीव इन देशों को एलजीबीटी-अनुकूल वातावरण के लिए जाने जाते हैं।

### नेपाल में एलजीबीटी

- एलजीबीटी के रूप में नेपाल में 3100 से अधिक लोग पंजीकृत हैं।
- देश का संविधान एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों को मान्यता देता है।
- नेपाल में कई ऐसे कानून हैं जो एलजीबीटी समुदाय के साथ समान व्यवहार और हिंसा मुक्त माहौल की गारंटी प्रदान करते हैं।

Result Mitra